



**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार-249404**

Website: www.psc.uk.gov.in



(01334) 244143
(01334) 244282

विज्ञापन संख्या :: A-5 / E-3 / DR / JA / 2022-23

कनिष्ठ सहायक परीक्षा-2022

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	—	30 नवम्बर, 2022
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	—	20 दिसम्बर, 2022 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क —Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	—	20 दिसम्बर, 2022 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

कनिष्ठ सहायक परीक्षा-2022 के अन्तर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र (**Online Application**) आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमत्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण के अन्तर्गत Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक—पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अवश्य अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की

	होगी।
3.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5.	आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर, 2022 के उपरान्त आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा—पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु, परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-01</u> , पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-02</u> , आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-03</u> , दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु <u>परिशिष्ट-04</u> , न्यूनतम अर्हक अंक हेतु <u>परिशिष्ट-05</u> तथा परीक्षा केन्द्र/नगर के चयन हेतु <u>परिशिष्ट-06</u> , का अवलोकन करें।
7.	<p>i. आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण—पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>ii. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा एवं इस परीक्षा में रिक्त पदों के निर्धारित अनुपात में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा (अनिवार्य) तथा अंग्रेजी टंकण व कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान परीक्षा (वैकल्पिक) आयोजित करायी जाएगी।</p> <p>iii. जिन विभागों के विज्ञापित पदों की अनिवार्य अर्हता में टंकण परीक्षा के लिए हिन्दी में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति का प्राविधान उल्लिखित नहीं है, उन विभागों के पदों हेतु भी हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति निर्धारित है।</p> <p>iv. जिन विभागों के विज्ञापित पदों हेतु अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है, उनमें अंग्रेजी टंकण के लिए 8000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति निर्धारित है। (अंग्रेजी टंकण की परीक्षा वैकल्पिक है)</p> <p>v. आयोग द्वारा, यथासमय, अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन—पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य</p>

	<p>अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण—पत्र मंगाये जाएंगे। विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन—पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण—पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>vi. अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण—पत्रों का अभिलेख सत्यापन, कार्यालय ज्ञाप संख्या 175 / 10 / अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया / अधि० / 2021–22, दिनांक 08 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा।</p>
8.	<p>लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही विभागवार वरीयता (Preference), कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा से पूर्व, ऑनलाइन ली जाएगी। विभागवार वरीयता (Preference) हेतु लिंक खोलने के सम्बन्ध में सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। वरीयता सूची (Preference Sheet) की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। विभागवार वरीयता (Preference) ऑनलाइन भरने के पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p>
9.	<p>जिन पदों हेतु कम्प्यूटर पर न्यूनतम अंग्रेजी टंकण गति/कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा/कम्प्यूटर अनुप्रयोग का व्यावहारिक ज्ञान/कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी/एम०एस०० ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, उन पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जो उपरोक्त अर्हता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण (Qualify) नहीं करेंगे, अंतिम चयन हेतु संबंधित पद के लिए विचारित नहीं किये जाएंगे।</p>
10.	<p>जिन पदों हेतु विज्ञापन में विभिन्न अधिमानी अर्हताएं उल्लिखित हैं, उन अर्हताओं से संबंधित प्रमाण—पत्र आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का उक्त अधिमानी अर्हता से संबंधित दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का दावा, टंकण परीक्षा द्वारा पुष्ट कराया जाएगा।</p>
11.	<p>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन—पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।</p>
12.	<p>प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट—05 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी के अनुसार न्यूनतम् अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) एवं विभागवार वरीयता (PREFERENCE) आधार पर प्रवीणता—सूची हेतु विचारित किया जायेगा।</p>
13.	<p>लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।</p>

14. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश—पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

02. पद का नाम— कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर (समूह 'ग')।

03. रिक्तियों का विवरण— कनिष्ठ सहायक परीक्षा—2022 के अन्तर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 445 है। रिक्तियों की संख्या घट—बढ़ सकती है। रिक्तियों का विभागवार विवरण निम्नवत् है—

01. शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 04

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	01	01	01	04

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं—

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और देवनागिरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान और कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति आवश्यक है।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

02. नगर पालिका परिषद, बागेश्वर, जिला बागेश्वर

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	00	00	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

03. नगर पालिका परिषद, मंगलौर, जिला हरिद्वार

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 02

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	00	01	02

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

04. नगर पालिका परिषद, जोशीमठ, जिला चमोली

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 02

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	02	02

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

05. नगर पालिका परिषद, गौचर, जिला चमोली

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

06. नगर पालिका परिषद, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 02

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	01	00	00	02

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

07. नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

08. नगर पालिका परिषद, बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

09. नगर पंचायत, दिनेशपुर, जिला उधमसिंह नगर

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 02

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	02	02

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

10. नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

11. नगर पालिका परिषद, महुआखेड़ागंज, जिला उधमसिंह नगर

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	00	00	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

12. नगर पंचायत, शक्तिगढ़, जिला उधमसिंह नगर

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर।

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	00	00	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

13. नगर पंचायत, कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

14. नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती, जिला टिहरी गढ़वाल

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	00	00	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	- 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	- 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	- 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	- 00
महिला	- 00

पद संख्या—02 से 14 तक के विभागों के पदों हेतु :-

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—

- a) केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट।
- b) हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

15. आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या—01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्गा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	01	00	00	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	- 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	- 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	- 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	- 00
महिला	- 00

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—

- c) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।
- d) कम्प्यूटर पर हिन्दी टाईपिंग में कम से कम 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति और कम्प्यूटर अनुप्रयोग का व्यावहारिक ज्ञान।

➤ अधिमानी अर्हता—

- b) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- c) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

16. परिवहन विभाग (परिवहन आयुक्त कार्यालय) उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 07

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
03	00	01	00	03	07

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

17. परिवहन विभाग (सम्भागीय संवर्ग) उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक।

कुल रिक्तियों की संख्या— 32

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	01	06	04	19	32

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 01
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 01
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 01
महिला	— 11

पद संख्या 16 एवं 17 के विभागों हेतु :-

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—

- a) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- b) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घंटा की गति।

c) कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की—डिप्रेशन से अधिक की विशुद्ध गति।

(नोटः— उक्त बिन्दु (c) हेतु कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री के लिए अंग्रेजी में 8000 की—डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति निर्धारित है।)

वांछनीय—कम्प्यूटर प्रचालन की जानकारी अथवा 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।

➤ **अधिमानी अर्हता—**

- a) प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

18. लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 04

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	01	03	00	00	04

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

➤ **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—**

a) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो।

b) अभ्यर्थी की कम्प्यूटर संचालन में 4000 की—डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होनी आवश्यक है एवं कम्प्यूटर हिन्दी टंकण (देवनागरी लिपि) में दक्ष होना आवश्यक है।

(नोटः— उक्त बिन्दु (b) हेतु हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति निर्धारित है।)

➤ **अधिमानी अर्हता—**

- a) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान प्राप्त किया हो।
- b) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- c) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

19. अर्थ एवं संख्या विभाग

पदनाम— कनिष्ठ सहायक
कुल रिक्तियों की संख्या— 07

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
03	00	01	01	02	07

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 01
महिला	— 01

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—

- a) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल से इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- b) 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण की गति।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

20. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पदनाम— कनिष्ठ सहायक
कुल रिक्तियों की संख्या— 07

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	02	01	02	07

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं—

- a) उत्तराखण्ड / उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो,
- b) हिन्दी की टंकण परीक्षा के लिए 4000 KDPH की न्यूनतम गति निर्धारित होगी।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान प्राप्त किया हो,
- b) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
- c) नैशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

21. होमगार्ड्स विभाग (मुख्यालय संवर्ग)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

22. होमगार्ड्स विभाग (जनपद संवर्ग)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या—12

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछ़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
03	01	03	00	05	12

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 04

पद संख्या 21 एवं 22 के विभागों हेतु :-

- अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ— माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश / माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।
- अधिमानी अर्हता—
 - a) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
 - b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
 - c) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण।

23. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या — 02

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	02	02

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

24. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 02

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	02	02

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

25. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

26. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए०डी०आर०) केन्द्र, मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

27. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

28. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्ग वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

29. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्ग वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

30. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार।

पदनाम – कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्गा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

31. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून

पदनाम – कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्गा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

32. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत

पदनाम – कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्गा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

33. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

34. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

35. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

36. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

37. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल

पदनाम – कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

38. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग

पदनाम – कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

39. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए०डी०आर०) केन्द्र, उधम सिंह नगर

पदनाम – कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

40. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए0डी0आर0) केन्द्र, हरिद्वार

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

41. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए0डी0आर0) केन्द्र, उत्तरकाशी

पदनाम — कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

पद संख्या 23 से 41 तक के विभागों हेतु :-

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—

- a) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- b) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होनी चाहिए।

टिप्पणी—कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति रखने वाले को अधिमान दिया जायेगा।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'सी' अथवा 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

42. वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 02

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	02	02

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एव परीक्षा परिषद, रामनगर की इन्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होनी आवश्यक हैं।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष तक सेवा की हो, या
- b) राष्ट्रीय सेवा दल (नेशनल कैडेट कोर) का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

**43. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून
(खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)**

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या—07

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
03	00	01	00	03	07

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

**44. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय, कुमायूं सम्भाग, हल्द्वानी
(खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)।**

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 07

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	01	01	03	07

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 02

पद संख्या 43 एवं 44 के विभागों हेतु :—

➤ अनिवार्य शैक्षिक अहंताएँ—

- a) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण।

b) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की—डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति तथा एम० एस० ऑफिस का ज्ञान होना आवश्यक है।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
- c) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान हो।

45. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 02

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्गा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	00	01	02

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—

- a) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- b) कम्प्यूटर परिचालन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(उपरोक्त पद हेतु हिन्दी में टंकण परीक्षा अनिवार्य है। इस संबंध में अभ्यर्थी विज्ञापन के प्रारम्भ में उल्लिखित अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं०-७(iii) का अवलोकन करें।)

46. निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 03

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछङ्गा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00		01	00	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

47. निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

48. राजस्व विभाग (आयुक्त कार्यालय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

49. श्रम विभाग (कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक / डाटा एंट्री ऑपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 05

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	01	01	01	05

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

50. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोड़ा

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

51. कार्यालय, जिलापूर्ति अधिकारी, रुद्रप्रयाग (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 05

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	01	00	02	05

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

52. कार्यालय जिलापूर्ति अधिकारी, पौड़ी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 06

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	01	00	04	06

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

53. कार्यालय जिलापूर्ति अधिकारी, चमोली (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 07

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग

01	00	01	01	04	07
----	----	----	----	----	----

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

54. कार्यालय, जिलापूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 09

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	01	00	06	09

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 02

55. कार्यालय, जिलापूर्ति अधिकारी, हरिद्वार (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 07

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	01	00	04	07

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

56. कार्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 05

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	00	04	05

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

57. कार्यालय जिलापूर्ति अधिकारी, नैनीताल (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 06

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	01	01	03	06

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

58. कार्यालय, जिलापूर्ति अधिकारी, पिथौरागढ़ (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 06

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	01	01	02	06

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

59. कार्यालय, जिलापूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड)

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 06

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	01	00	03	06

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

60. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 14

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	01	02	01	08	14

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 02

61. राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा

पदनाम— कनिष्ठ सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

62. अभियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 05

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	00	01	00	02	05

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 02

63. सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 28

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
04	01	04	03	16	28

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 01
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 01
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 01
महिला	— 07

64. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 01

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	00	00	01	01

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

65. ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 24

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
03	01	06	04	10	24

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 02
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 02
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 01
महिला	— 08

66. युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 06

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
03	00	02	01	00	06

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

67. डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक
कुल रिक्तियों की संख्या— 03

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
00	00	01	00	02	03

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

68. राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक
कुल रिक्तियों की संख्या—138

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
28	00	21	11	78	138

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी०एफ०एफ०	— 02
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 05
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 05
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 05
महिला	— 38

69. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड

पदनाम— कनिष्ठ सहायक
कुल रिक्तियों की संख्या— 03

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	01	00	00	00	03

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 00

70. निदेशालय, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 05

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
01	00	00	01	03	05

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 01

71. राजस्व विभाग (कलवट्रेट अधिष्ठान) जनपद अल्मोड़ा

पदनाम— कनिष्ठ सहायक

कुल रिक्तियों की संख्या— 18

ऊर्ध्वाधर श्रेणी (Vertical Reservation) की रिक्तियां

अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
02	01	02	03	10	18

उक्त रिक्तियों में से क्षैतिज श्रेणी (Horizontal Reservation) की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है—

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	— 00
उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	— 00
उत्तराखण्ड के दिव्यांग	— 00
उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	— 00
महिला	— 02

पद संख्या 46 से 71 तक के विभागों हेतु :-

➤ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ—

- a) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश /माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

➤ अधिमानी अर्हता—

- a) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
 b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
 c) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

(उपरोक्त पदों हेतु हिन्दी में टंकण परीक्षा अनिवार्य है। इस संबंध में अभ्यर्थी विज्ञापन के प्रारम्भ में उल्लिखित अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0–7(iii) का अवलोकन करें।)

नोट :— निम्नलिखित विभागों के विज्ञापित पदों हेतु दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त चिह्नांकित उप श्रेणियां निम्नवत् हैं :—

- (1) परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड — LV, HH, LC, Dw, AAV, MDy, D, ASD, ID, MI, MD.
- (2) लघु सिंचाई विभाग — HH, BL, DW, AAV.
- (3) अर्थ एवं संख्या विभाग — OA, OL, BL, D, PD, B, PB.
- (4) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड— OA, OL, PB, PD.
- (5) सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड — B, LV/PB, D, HH/PD, OA, OL, BL, OAL, Dw, AAV/AV, Th, Hp.
- (6) ग्रामीण निर्माण विभाग — OA, OL, B, BL, D, PD, PB.
- (7) युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग — OL, OA, BLA, PB.
- (8) राज्य कर विभाग — OL, CP, LC, DW, AAV, MD.
- (9) गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग — D, HH, OL, CP, LC, DW, AAV, MDy.
- (10) निदेशालय, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड — OL, OA, BL, D, PD, PB, Dw, AAV.

उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त विज्ञापन में उल्लिखित शेष अन्य विभागों के विज्ञापित पद, दिव्यांगता की उपश्रेणियों हेतु उपयुक्त चिह्नांकित नहीं हैं।

04. पद का स्वरूप :— अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

05. आयु सीमा :— कनिष्ठ सहायक पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2022 है।

06. अधिकतम आयु सीमा में छूट :— विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या— 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश सं0-406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0-124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.”

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक—16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।

07. आरक्षण :— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, डी०एफ०एफ०, दिव्यांग, महिला एवं अनाथ बच्चे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के “परिशिष्ट-3” में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-3” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित करा लें। आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या—133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या—124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर—8

के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के “*O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.*” का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षेत्रिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट हेतु निर्गत शासनादेश सं0-38(1)/xxx(2)/2021-30(21)/2018, दिनांक 18.02.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित ‘ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिये आरक्षित सिविल पदों के समूह-ग की उन सेवाओं/पदों के लिये अह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो के आलोक में शैक्षिक अर्हता स्नातक की समकक्षता संबंधी छूट प्रदान की जायेगी।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शासनादेश संख्या—310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक—16 फरवरी, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों हेतु आरक्षण संबंधी प्राविधान अनुमन्य होंगे।

08. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता—

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय—समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है:— शासन की अधिसूचना संख्या—164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा

आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो अजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक—1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।" उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाईन आवेदन—पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक—809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा ।”

09. राष्ट्रीयता :-

सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश—कोनिया, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जाएगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

10. चरित्र :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

11. वैवाहिक प्रास्थिति—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

12. शारीरिक स्वस्थता—

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

13. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट <https://psc.uk.gov.in> या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात **Apply Now** पर क्लिक करें।

(3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात **Basic Information** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात पुनः **Registration** फॉर्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile No.** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) **Login** करने के पश्चात **Educational Details** अथवा **Proceed To Next Step** बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर, Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate, Graduation एवं Post Graduation का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में **Clear** पर क्लिक कर Graduation/Post Graduation Details में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य अर्हता एवं विवरण भरकर **Submit** बटन पर क्लिक करें। उसके पश्चात दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। अपलोड करने के पश्चात **Photo** एवं **Signature** को Cropping Tool की सहायता से **I Want to crop images Photo and Signature** के विकल्प का चयन कर सही किया जा

सकता है अथवा अभ्यर्थी पर विलक कर एवं को अपलोड कर सकते हैं।

अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को करने के बाद शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन पत्र में Application Status वाली फील्ड में Completed प्रदर्शित होगा

तत्पश्चात् पर विलक कर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए बटन पर विलक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्यन करने के पश्चात घोषणा को कर बटन पर विलक करें अथवा वापस जाने हेतु बटन पर विलक करें। पर विलक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के पजींकृत मोबाइल पर ओ०१००१००१० प्राप्त होगा, जिसको की वाली फील्ड्स पर दर्ज कर बटन पर विलक करें। आवेदन रद्द (cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन—पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी एवं के माध्यम से करने के पश्चात् पर विलक कर, Personal Information, पर विलक कर, Educational Qualification एवं पर विलक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई—मेल आईडी० एवं मोबाइल न० को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई—मेल कर सकते हैं।

2 आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन—पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

3 परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन—पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26.55 रुपये है।)

4. शासनादेश संख्या 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 से आच्छादित उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक / दत्तक पिता—माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) है अथवा उत्तराखण्ड राज्य महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एवं

पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में रहने वाले अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद [Click here for Final Submission](#) बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन—पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

14. शुल्क :—प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:—

क्र0सं0 (S.No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन शुल्क (Application Fee)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fee)	कुल शुल्क (Total Fee)
01.	अनारक्षित	₹0 150	₹0 26.55	₹0 176.55
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	₹0 150	₹0 26.55	₹0 176.55
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	₹0 150	₹0 26.55	₹0 176.55
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	₹0 60	₹0 26.55	₹0 86.55
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	₹0 60	₹0 26.55	₹0 86.55
06.	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	—
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (विभागवार चिह्नित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	₹0 26.55	₹0 26.55

नोट :— उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक अभ्यर्थी एवं महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :—

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन—2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(03) आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका—2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन—पत्र/प्रमाण—पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अहंता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनहं अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनहं अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण—पत्रों का अभिलेख सत्यापन कार्यालय ज्ञाप संख्या 175/10/अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया/अधि0/2021-22, दिनांक 08 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अहंता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई—मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत ‘अनापत्ति प्रमाण—पत्र’ अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(08) विज्ञापित पदों हेतु 02 घण्टे समयावधि की एक लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) होगी, जिसके लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित हैं। उक्त हेतु सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिन्दी, से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(09) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड**— वस्तुनिष्ठ प्रश्न—पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(13) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) परीक्षा केन्द्र में आचरण— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(17) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(18) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अनन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सर्रसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अनन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(19) हाई स्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(21) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(22) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3.

प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित् प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगड़ा /फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(23) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(24) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(25) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने

के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(26) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा (अनिवार्य), अंग्रेजी टंकण व कम्प्यूटर संचालन की आधारभूत ज्ञान परीक्षा (वैकल्पिक) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in का समय—समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(27) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न नगरों के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगरों में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरानत परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

(28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। अभ्यर्थियों की अनर्हता के संबंध में अनर्ह सूची आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(30) अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(31) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-1

परीक्षा योजना

01. प्रश्नगत चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना के अनुसार सर्वप्रथम परिशिष्ट-02 में उल्लिखित पाठ्यक्रम पर आधारित लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा।
02. उपरोक्त परीक्षा में रिक्त पदों के अनुसार निर्धारित अनुपात में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा (अनिवार्य) तथा अंग्रेजी टंकण व कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा (वैकल्पिक) आयोजित करायी जाएगी।
03. कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति, अंग्रेजी टंकण में 8000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति व कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा (न्यूनतम् अर्हक अंक-40 प्रतिशत) मात्र अर्हकारी प्रकृति की है। अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
04. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-05 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम् अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) एवं विभागवार वरीयता (PREFERENCE) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट-02

कनिष्ठ सहायक परीक्षा-2022 हेतु पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र० सं०	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णक	समय अवधि
1	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी	100	100 (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)	02 घण्टा
कुल अंक		100		

नोट:- 1. उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई ($1/4$) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

2. उक्त पदों हेतु हिन्दी टंकण में 4000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा ऐसे पद जिनमें अनिवार्य/अधिमानी योग्यता के अन्तर्गत अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति का उल्लेख किया गया है, उनमें नियमावली के अनुसार अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसे पद जिनमें अनिवार्य/अधिमानी योग्यता के अन्तर्गत अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं किया गया है, उन पदों हेतु अंग्रेजी टंकण में 8000 की—डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार निर्धारित टंकण गति प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी चयन/अधिमान के लिए अनर्ह होंगे।

3. ऐसे पद जिनके लिए कम्प्यूटर का ज्ञान/कम्प्यूटर परिचालन इत्यादि से सम्बन्धित प्राविधान हैं, उन पदों हेतु कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार उक्त अर्हकारी परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी उस पद के सापेक्ष चयन के लिए अनर्ह होंगे।

परीक्षा का पाठ्यक्रम

विषय :: सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय—2 घंटे

अधिकतम अंक—100

खण्ड—1 : सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक—75

प्रश्न की संख्या—75

- 1 सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी : सामान्य विज्ञान एवं 15 अंक कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे।
- 2 भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : भारत का इतिहास तथा 07 अंक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे।
- 3 भारतीय राज्य व्यवस्था : भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय 06 अंक राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे।
- 4 भारत का भूगोल एवं जनांकिकी : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, 07 अंक पारस्थितिकीय, सामाजिक-आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे।
- 5 सम—सामयिक घटनाएँ : इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय 07 अंक महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे।
- 6 उत्तराखण्ड का इतिहास : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल 06 अंक (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका।

- 7 उत्तराखण्ड की संस्कृति :** जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, 06 अंक परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।
- 8 उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी:** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में 08 अंक नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिटटी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एंव मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन, जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।
- 9 उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन—** प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं 07 अंक प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।
- 10 सामान्य बुद्धि परीक्षण ::** सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है। 06 अंक

Subject : General Knowledge, General Studies and General Hindi (Objective Type)

Time: 2 Hours

Maximum Marks: 100

Part -1 : General Knowledge and General Studies

Maximum Marks-75

Total Questions-75

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | General Science and Knowledge of Computer Operation: | 15 Marks |
| Questions on General Science and Computer operation will cover general understanding and application of science and Computers including matters of day-to-day observation. | | |
| 2 | History of India and Indian National Movement: | 07 Marks |
| Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, mediaeval and modern India and India's freedom movement. | | |
| 3 | Indian polity: Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj. | 06 Marks |
| 4 | Geography and Demography of India: Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India. | 07 Marks |
| 5 | Current Events: Questions will be based on important current events of Uttarakhand State and National. | 07 Marks |
| 6 | History of Uttarakhand: Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; | 06 Marks |
| 7 | Culture of Uttarakhand: Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments | 06 Marks |

- 8 Geography and Demography of Uttarakhand:** **08 Marks**
Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture and Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration.
- 9 Economic and natural resources :** Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utilization of resources. Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and **07 Marks**
- 10 General intelligence test:** In General Mental Ability, questions will include test comprehension, reasoning and numerical ability. **06 Marks**

खण्ड-2: सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्या: 25

अधिकतम अंक 25

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम—व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination Ability Test (Qualifying Nature)

Time Allowed: One hours

M.M.: 100

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office (Maximum Marks – 100; Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40; Time allowed: One Hour)

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet (2) M.S. - word (3) M.S. - Access (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point.

Note -1- Each question shall have one action to be performed on the system each having 20 marks.

Note -2 - Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

Note- 3 - उक्त परीक्षा अर्हकारी प्रकृति (Qualifying Nature) की होगी, जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम

..... तहसील नगर जिला

..... उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर

. जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी

ग्राम तहसील नगर जिला

उत्तराखण्ड कीजाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा

अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर

.....जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(I) 2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अदीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र


प्रमाण-पत्र संख्या..... वर्ष..... हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री..... ग्राम/मुहल्ला..... पिन कोड.....
पोस्ट ऑफिस..... जिला.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो कि..... जाति से हैं
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....



उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र
शासनादेश संख्या— 4 / 23 / 1982—2 / 1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम

.....तहसील नगर जिला

.....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)

पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम.....
पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

निःशक्तता प्रमाण—पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या —

तारीख
.....

निःशक्तता प्रमाण — पत्र

चिकित्सा बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार
का हाल का फोटो
जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0
 सुपुत्र/पल्ली/सुपुत्री आयु लिंग पहचान चिन्ह
निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्ठीय पक्षाधात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) — दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) — दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमज़ोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) — दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) — एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमज़ोर पकड़
(ग) गति विघ्न (अटैकिस्स)

(v) एक बांह (ओ ए) — एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमज़ोर पकड़
(ग) गति विघ्न (अटैकिस्स)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) — पीठ और नितम्ब में कलापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमज़ोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) — मांस पेशियों में कमज़ोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंदापन अथवा अल्प दृष्टि —

- (i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी–बघिर
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बघिर

(उस श्रेणी को हठा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस भागले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निश्चितता का प्रतिशत है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| (i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू–बलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(आ0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(आ0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(आ0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति डस्टावरित

(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-04

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019
के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के
संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/ शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-4(1) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-4(1) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

- 7.** जिन परीक्षाओं में केलकूलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (tailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे।
- 8.** दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू—तल के निर्धारित परीक्षा—कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट-04 (1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs
(name of the candidate with disability), a person with(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o, a resident of(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal :

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट-04 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(name of the disability) appearing for the(name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District(name of the State). My qualification is

I do hereby state that(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट—05

कनिष्ठ सहायक परीक्षा—2022 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक :—

अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम प्रक्रिया नियमावली, 2022 एवं मा० आयोग के निर्णय दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के अनुपालन में न्यूनतम् अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:—

क्र० सं०	आरक्षण की श्रेणी	प्रवीणता—सूची तैयार किये जाने हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में निर्धारित न्यूनतम् अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1.	अनारक्षित	45%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	40%
3.	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी	35%
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी	40%

नोट :: उक्त सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम् अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के क्रम में प्रवीणता—सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट-06

कनिष्ठ सहायक परीक्षा-2022 के अन्तर्गत
लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा केन्द्रों / नगरों की सूची

Sl. No.	Exam Center/City	Exam Center/ City Code
01	Almora	001
02	Ranikhet	002
03	Bageshwar	003
04	Champawat	004
05	Pithoragarh	005
06	Nainital	006
07	Haldwani	007
08	Rudrapur	008
09	Khatima	009
10	Pauri Garhwal	010
11	Srinagar	011
12	Kotdwar	012
13	Gopeshwar	013
14	New Tehri	014
15	Rudraprayag	015
16	Uttarkashi	016
17	Dehradun	017
18	Rishikesh	018
19	Haridwar	019
20	Roorkee	020

नोट:- अभ्यर्थी द्वारा चुने गये परीक्षा केन्द्र / नगर में अपरिहार्य परिस्थिति में माओ आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
